

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज शैलेन्द्र भण्डारी बनाम लोक सूचना अधिकारी, (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) सू.अ.अपील संख्या-ऑनलाईन अपील संख्या 353020599574627</p>	<p>न व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>11/09/25</p>	<p>अपीलार्थी शैलेन्द्र भण्डारी निवासी 26 इंद्र विहार सेक्टर 7 न्यू पावर हाउस जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 07.07.2025 को जिला कलक्टर की जनसुनवाई दिनांक 19.06.2025 को विधायक देवेन्द्र जोशी जी के माध्यम से सरकारी वक्फ बोर्ड की 1. तकिया चांद शाह, 2. मुबारक मंजिल बाईजी का तालाब की दुकाने, 3. सोजती गेट मस्जिद की दुकाने, 4. सरदापुरा मस्जिद ए रोड की दुकाने, 5. सरदारपुरा सी रोड मस्जिद की दुकाने, 6. रातानाडा सब्जीमंडी पांच बत्ती चौराया की दुकानों में हिन्दुओं से अधिक किराया व मुसलमानों से कम लेने की जांच करवाने का निवेदन करने पर जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा परिवार राजस्थान सम्पर्क में प्रकरण सं. 062505623353365 दर्ज करने पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी द्वारा जांच कर रद कर दिये गये प्रत्युत्तर की संलग्न कर जांच किये गये विभिन्न दस्तावेज से सम्बन्धित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील में रेषो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर अपीलार्थी अनुपस्थित। रेषो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 881 दिनांक 22.08.2025 से बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध प्रभारी अधिकारी मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ व राजस्थान सम्पर्क शाखा से रिपोर्ट प्राप्त कर कार्यालय हाजा के पत्र दिनांक 21.07.2025 द्वारा प्रार्थी को सूचित किया गया। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के स्पष्टीकरण/सूचना से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर</p>	

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.09.11 16:46:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17714397

11/09/25

शैलेन्द्र भण्डारी